



# समाहरणालय, अरवल ।

(जिला शस्त्र शाखा)

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---------------------------|--|---|
| 08.01.2016                | <p>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल<br/>शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं० – 78/डी०एम०/2015<br/><u>आदेश</u></p> <p>श्री सर्वेश कुमार, पे०-श्री संत सिंह, मार्फत श्री रामबिहारी सिंह, सा०-लक्ष्मणपुर बाथे, थाना-परासी, जिला-अरवल द्वारा एक एन०पी०बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 08.01.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।</p> <p>निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे औरंगाबाद में एक निजी विद्यालय का संचालन करते हैं तथा यदा-कदा अपने ग्राम आते हैं। थानाध्यक्ष परासी द्वारा यह अंकित करते हुए वापस किया गया है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम लक्ष्मणपुर बाथें में नहीं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप आयकर दाता हैं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें किस प्रकार की खतरा है। इनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। फिर भी उनके द्वारा अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा/भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 147/गो० (शस्त्र), दिनांक 20.07.2015 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, परासी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पेशा व्यवसाय है, तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा/भय होने के संबंध में "नहीं" प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद भी आवेदक</p> |   |

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---------------------------|---|---|
|                           | <p>को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p><b>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) ए में</b> अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर समर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निस्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक के सुरक्षा के बिंदू पर कोई सुरक्षा/भय/खतरा नहीं है तथा ऐसे में आवेदक को एक एन०पी०बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। मात्र आवेदक द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि वे स्थाई रूप से औरंगाबाद में आवासित हैं। मात्र पैतृक निवास होने के कारण अरवल जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि आवेदक आवश्यक समझे तो वे वर्तमान निवास स्थान पर शस्त्र हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सर्वेश कुमार, पे०-श्री संत सिंह, मार्फत श्री रामबिहारी सिंह, सा०-लक्ष्मणपुर बाथे, थाना-परासी, जिला-अरवल के आवेदित एक एन०पी०बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को <i>अस्वीकृत</i> किया जाता है।</p> <p><b>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</b></p> <p>लेखापित एवं संशोधित<br/> <br/> जिला दंडाधिकारी, अरवल</p> <p><br/> जिला दण्डाधिकारी, अरवल</p> |   |